**न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांचौर, जिला जालोर।**

पीठासीन अधिकारी — **हिम्मत राज (आर.जे.एस.)**

फौजदारी मूल प्रकरण संख्या — 605/2017 (50/2013)

सी.आई.एस. नंबर — 2665/2014

01. राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी, सांचौर, जालोर

........अभियोगी

बनाम

01. शम्भुसिंह पुत्र गुलाबसिंह, उम्र 51 वर्ष, निवासी बईया, पुलिस थाना झिन्जणियाली, जिला जैसलमेर।
02. उदय सिंह पुत्र जुगत सिंह, उम्र 50 वर्ष, निवासी ढेम्बा, पुलिस थाना सेड़वा, हाल विष्णु कॉलोनी, पुलिस थाना सदर बाड़मेर, जिला बाड़मेर। **(फौत कार्यवाही ड्रॉप दिनांक 23.02.2023)**
03. धन सिंह पुत्र ओनाड़सिंह, उम्र 55 वर्ष, निवासी चुली, पुलिस थाना सदर बाड़मेर, जिला बाड़मेर।
04. गोरधनसिंह पुत्र गुमान सिंह, निवासी खनाई बालापर, पुलिस थाना नलिया, जिला भुज, गुजरात। **(मफरूर दिनांक 14.06.2024)**

**.........अभियुक्तगण**

**अपराध अन्तर्गत धारा 19/54, 14/57 व 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम**

**उपस्थितः—**

1 सहायक अभियोजन अधिकारी राज्य की ओर से।
2 श्री प्रेमसिंह अचलपुर, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

**::—निर्णय—::** **दिनांक 28.03.2026**

**(प्रकरण 10 वर्ष से अधिक पुराना)**

**(1)** पुलिस थाना सरवाना की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 81/2011 में अभियुक्तगण शम्भुसिंह, उदय सिंह व धन सिंह के विरुद्ध जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी अंतर्गत धारा 19/54 व 14/57 राजस्थान आबकारी अधिनियम व अभियुक्त गोरधनसिंह के विरुद्ध जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी अंतर्गत धारा 19/54, 14/57 व 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत आरोप पत्र पेश किया गया। उक्त प्रकरण माननीय



न्यायिक मजिस्ट्रेट
सांचौर (राज.)

मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट जालौर के आदेश की अनुपालना में न्यायालय श्रीमान् अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के जरिये इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ जिस पर प्रकरण का विचारण पूर्ण होने, अभियुक्त उदयसिंह की फौत **(कार्यवाही ड्रॉप दिनांक 23.02.2023)** हो जाने के चलते व अभियुक्त गोरधनसिंह को दिनांक 14.06.2024 को मफरूर घोषित किये जाने के चलते शेष अभियुक्तगण शम्भूसिंह व धनसिंह की हद तक इस आदेश के द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

(2) प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 30.09.2011 को तत्कालीन थानाधिकारी एस.आई. घेवरसिंह मय हैड कानि. हेमपुरी नंबर 290, कानि. मनोहर लाल कानि. नंबर 165, कानि. अचलाराम नंबर 397, लादुराम कानि. 144, पोपटराम नंबर 681, कानि. रामप्रताप नंबर 179 के जरिये सरकारी जीप, चालक किसनाराम कानि. 751 के बहवाले रपट नंबर 1106 के थाना से लोकन एवं स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु थाना से वक्त 10.00 पी.एम. पर रवाना होकर सरहद बिछावाड़ी में अमरापुरी से आगे जाणवी जाने वाली ग्रेवल सड़क पर पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की गई। सुबह 5.30 ए.एम. पर गांव जाणवी की तरफ से एक बोलेरो केम्पर गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसको पास में आने पर मन एस.आई. मय पुलिस जाब्ता ने उक्त गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो गाड़ी के ड्राईवर ने पुलिस जाब्ता के पास आकर पुलिस द्वारा की गई नाकाबंदी को तोड़कर भोलाकुटी बिछावाड़ी की तरफ गाड़ी लेकर भागने लगा तो मन एस.आई. मय पुलिस जाब्ता ने सरकारी जीप से उक्त बोलेरो गाड़ी का पीछा किया तो बोलेरो का चालक गाड़ी को तेजगति से भगाने लगा, जिससे बोलेरो कंपर गाड़ी का पीछला दाहीना टायर पंचर हो जाने तथा गाड़ी को तेजगति से भगाने पर गाड़ी में भरे शराब के कार्टुन सड़क पर बिखरने लगे। सरहद बिछावाड़ी में ही भोलाकुटी के पास उक्त बोलेरो कंपर गाड़ी टायर ब्लास्ट होने से अनबेलेंस होने लगी तो चालक गाड़ी को छोड़कर भागने लगा तो मन एस.आई. मय जाब्ता ने गाड़ी के पास ही चालक को दस्तयाब किया व गाड़ी चालक को गाड़ी भगाने बाबत पूछा तो बताया कि गाड़ी में शराब भरी होने के कारण उसने गाड़ी भगाई थी, जिस पर चालक को उसका नाम–पता पूछता तो चालक ने अपना नाम शम्भुसिंह पुत्र गुलाबसिंह, जाति रावणा राजपूत, उम्र 36 वर्ष, निवासी बईया, पुलिस थाना झिन्जणियाली, जैसलमेर होना बताया, जिस पर चालक को उक्त शराब परिवहन करने बाबत् लाईसेंस व परमीट के बारे पूछा तो चालक शम्भुसिंह ने अपने पास कोई लाईसेंस व परमीट नहीं होना बताया तथा बताया कि उक्त शराब उदयसिंह पुत्र जुगतसिंह राजपूत, निवासी ढेम्बा, थाना सेड़वा व धनसिंह राजपूत, निवासी चुली बाड़मेर वालों का है।



न्यायिक मजिस्ट्रेट
सांचौर (राज.

उदयसिंह ने ही गाड़ी में बाड़मेर से शराब भरकर उसको व धनसिंह को लाकर दी थी। जाणवी सरहद में गाड़ी पंक्चर हो जाने पर धनसिंह ने गाड़ी उसको दी थी, धनसिंह गाड़ी छोड़कर भाग गया था........................ इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर थानाधिकारी पुलिस थाना सरवाना ने प्रकरण संख्या 81/2011 में अभियुक्तगण शम्भुसिंह, उदय सिंह व धन सिंह को अन्तर्गत धारा 19/54 व 14/57 राजस्थान आबकारी अधिनियम व अभियुक्त गोरधनसिंह को अंतर्गत धारा 19/54, 14/57 व 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया, बाद सम्पूर्ण अनुसंधान पुलिस थाना सरवाना की ओर से अभियुक्तगण शम्भुसिंह, उदय सिंह व धन सिंह को अन्तर्गत धारा 19/54 व 14/57 राजस्थान आबकारी अधिनियम व अभियुक्त गोरधनसिंह को अंतर्गत धारा 19/54, 14/57 व 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप पत्र पेश किया गया, जो दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त धाराओं में वर्णित अपराध का उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया।

(3) बहस चार्ज सुनकर अभियुक्तगण शम्भुसिंह, व धन सिंह को अन्तर्गत धारा 19/54 व 14/57 राजस्थान आबकारी अधिनियम का अपराध बनना पाये जाने पर उक्त अभियुक्तगण को उपरोक्त धाराओं का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

(4) अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में मनोहरलाल पी.डब्ल्यू 1, हेमपुरी पी.डब्ल्यू 2, अचलाराम पी.डब्ल्यू 3, मुलाराम पी.डब्ल्यू 4, रगुनाथ पी.डब्ल्यू. 5, किशनाराम पी.डब्ल्यू. 6, मोहनलाल पी.डब्ल्यू. 7, पोपटलाल पी.डब्ल्यू. 8, सत्यदेव आढा पी.डब्ल्यू. 9, घेवरसिंह पी.डब्ल्यू. 10, लादुराम पी.डब्ल्यू. 11, महेंद्रसिंह पी.डब्ल्यू. 12 व विरधसिंह पी.डब्ल्यू 13 को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में फर्द जब्ती अवैध शराब प्रदर्श पी 1, फर्द जब्ती बोलेरो केंपर प्रदर्श पी 2, फर्द नक्शा नजरी बरामदगीस्थल प्रदर्श पी. 3, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त शम्भुसिंह प्रदर्श पी. 4, मौका तस्दीक प्रदर्श पी 5, फर्द बरामदगीस्थल नक्शा नजरी मौका तस्दीक प्रदर्श पी 6, गिरफ्तारी वारण्ट निकलवाने बाबत दिया गया प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 7, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त गोरधनसिंह प्रदर्श पी. 8, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 9, एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी 10, पर्चा चाक एफआईआर प्रदर्श पी 11, फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम जैर हिरासत मुलजिम शम्भुसिंह प्रदर्श पी 12, फर्द मौका तस्दीक द्वारा मुलजिम शम्भुसिंह प्रदर्श पी 13, फर्द खाना तलाशी मकान उदयसिंह प्रदर्श पी 14, थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 15, एसपी कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 16, एफएसएल प्राप्ति रसीद प्रदर्श



न्यायिक मजिस्ट्रेट
सांचौर (राज.)

पी 17, अभियुक्त उदयसिंह व धनसिंह की गिरफ्तारियां क्रमशः प्रदर्श पी 16 व 17, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 18, फर्द इत्तिला क्रमशः प्रदर्श पी 19 व 20 आदि दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये।

(5) अभियुक्तगण शम्भुसिंह व धनसिंह की परीक्षा अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत की गयी एवं अभियुक्त के विरूद्ध आयी साक्ष्य का स्पष्टीकरण उक्त अभियुक्तगण से लिया गया तो उक्त अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत कहते हुये कथन किये हैं कि वे निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया है। अभियुक्त की ओर से कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई।

(6) न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है कि :–

1– **क्या अभियुक्त शम्भुसिंह व धनसिंह ने दिनांक 30.09.2011 को वक्त 05.30 एएम पर सरहद बिछावाड़ी में अमरापुरी से आगे जाणवी जाने वाली ग्रेवल सड़क पर आप अभियुक्त के सचेतन कब्जे के वाहन बोलेरो कैम्पर जीजे 12 वाई 1729 में से कुल 65 कार्टुन अंग्रेजी शराब विभिन्न ब्राण्ड के भरे हुए बरामद हुए, जिनको अपने कब्जे में रखने या परिवहन करने बाबत् आपके पास कोई वैध लाईसेंस/परमिट नहीं था। एतद्द्वारा आपने राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 19/54 के तहत दण्डनीय अपराध किया है, जो कि मेरे प्रसंज्ञान में है?**

2– **क्या अभियुक्त शम्भुसिंह व धनसिंह ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त के सचेतन कब्जे के वाहन बोलेरो कैम्पर जीजे 12 वाई 1729 में से कुल 65 कार्टुन हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब विभिन्न ब्राण्ड के भरे हुए बरामद हुए, उक्त शराब का आयात शुल्क चुकाये बिना राजस्थान में विधि–विरुद्ध आयात किया या यह तथ्य जानते हुए कि इस शराब का शुल्क संदत्त नहीं किया गया है, फिर भी अपने कब्जे में रखा। एतद्द्वारा आपने राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 14/57 के तहत दण्डनीय अपराध किया है, जो कि मेरे प्रसंज्ञान में है?**

3– **यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा ?**

(7) उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में बहस करते हुए विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग को समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। अतः अभियुक्तगण को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जावे। सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्कों का खंडन करते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क दिया गया कि मुलजिम धनसिंह को मौके से गिरफ्तार



न्यायिक मजिस्ट्रेट
सांचौर (राज.

नहीं किया गया था। जब्ती के सभी गवाह पुलिसकर्मी है, कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं है। गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त शम्भूसिंह व धनसिंह के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 19/54, 14/57 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

(9) उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया एवं सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया।

<u>:: विवेचन ::</u>

(10) उभयपक्षकारान के तर्कों के मनन में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अभियोजन प्रकरण रोजनामचा रपट प्रदर्शपी 10 पर संस्थित है, जिसके रिपोर्टकर्ता/शिकायतकर्ता/बरामदगीकर्ता भेवरसिंह है। अभियोजन पक्ष की ओर से हस्तगत प्रकरण में कुल 13 को परीक्षित करवाया गया है।

(11) प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह रिपोर्टकर्ता/जब्तीकर्ता भेवरसिंह न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू. 10 के रूप में परीक्षित हुये। उक्त गवाह मुख्य सीजरमेन एवं चक्षुदर्शी गवाह होने से अभियोजन प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण गवाह है। गवाह द्वारा अपनी साक्ष्य में नाकाबंदी की कार्यवाई करना, बोलेरो कैम्पर का भागना, पीछा कर रूकवाना, अभियुक्त शम्भूसिंह को मौके से पकड़ने का स्पष्ट कथन किया है। गवाह के बयान एवं अभियोजन के दस्तावेजी साक्ष्यो से यह स्पष्ट हुआ कि तलाशी के दौरान कुल 65 कार्टन विभिन्न ब्राण्ड के हरियाणा निर्मित शराब अभियुक्त शम्भूसिंह के अनन्य एवं चेतन्य कब्जे से बरामद हुये जिसके संदर्भ में शम्भूसिंह द्वारा कोई वैध लाईसेंस या परमिट प्रस्तुत नही कर सका। गवाह की मौखिक साक्ष्यों को फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 01, वाहन जब्ती प्रदर्श पी. 02, बरामदगी मेमो प्रदर्श पी. 03, गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 04, रोजनामचा रपट प्रदर्श पी. 10 से पर्याप्त समर्थन प्राप्त होता है। इस प्रकार शम्भूसिंह के सचेतन कब्जे से शराब बरामद होने का आवश्यक तत्व गवाह की बयान से सिद्ध होता है। इसी प्रकार शराब के हरियाणा निर्मित होने तथा अभियुक्त की ओर से आयात शुल्क से संबंधित दस्तावेज पेश न करने से स्पष्ट होता है कि उक्त शराब का राजस्थान में विधि विरूद्ध आयात किया गया था जिससे धारा 14/57 राज. आबकारी अधिनियम के अपराध के आवश्यक तत्व भी सिद्ध होते है। यद्यपि मुलजिम धनसिंह के संबंध में शम्भूसिंह का यह कथन रहा कि धनसिंह उसके साथ में था जो भाग गया। किन्तु उक्त धनसिंह की कोई

विशिष्ट पहचान उक्त गवाह द्वारा नहीं की गयी। धनसिंह की न तो मौके से गिरफतारी है और न ही उनके सचेतन कब्जे से किसी प्रकार की शराब की बरामदगी है जिससे धनसिंह के विरूद्ध आरोपित अपराध के संदर्भ में ठोस एवं संपुष्ठिकारक साक्ष्य का अभाव पाया गया।

12. गवाह मनोहरलाल पी.डब्ल्यू. 01 न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए। शराब के कार्टुन याद नहीं है। उक्त गवाह भी जाब्ते का गवाह रहा जिससे घटना का अहम चक्षुदर्शी गवाह है। गवाह द्वारा अपने बयानों में नाकाबंदी करना, वाहन का मुलजिम द्वारा भगाना व पीछा कर रोकना तथा चालक शम्भूसिंह को मौके से पकड़ने का कथन किया। साथ ही वाहन में शराब के कार्टन भरे हुए होने का कथन किया और कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। गवाह के कथनों की पुष्टि फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 01 व 02 से होती है। गवाह की साक्ष्य शम्भूसिंह के अवैध कब्जे एवं परिवहन के तत्वों को पुष्ठ करता है साथ ही राज्य से बाहर निर्मित शराब का बिना वैध दस्तावेज के परिवहन करने का भी पुष्टि करता है। यद्यपि गवाह ने दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से पहचानने या पकडने से इनकार किया है जिससे उक्त घटना में धनसिंह की संलिप्तता के संदर्भ में संदेह रहता है।

13. गवाह हेमपुरी पी.डब्ल्यू. 02 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए। गवाह जाब्ते के साथ में रहा। अतः चक्षुदर्शी गवाह होने के नाते अभियोजन पक्ष का महत्वपूर्ण साक्षी है। गवाह द्वारा कार्टनों की गिनती करना, नमूना लेना एवं सील कार्यवाही करने का भी समर्थन किया। गवाह की साक्ष्य को फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 01 से समर्थन प्राप्त होता है। गवाह की साक्ष्य एवं फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 01 एवं 02 से यह तथ्य स्थापित हुआ है कि शम्भूसिंह के कब्जे वाले वाहन बोलेरो कैम्पर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुयी थी। साथ ही शराब विभिन्न ब्राण्ड की व हरियाणा निर्मित थी। यद्यपि गवाह की साक्ष्य अन्य सहअभियुक्त धनसिंह के संदर्भ में कमजोर रही। गवाह ने कथन किया कि उसने दूसरे अभियुक्त को भागते हुए नहीं देखा। गवाह की साक्ष्य से मुलजिम धनसिंह के विरूद्ध आरोपित अपराध कमजोर होता है।

14. गवाह अचलाराम पी.डब्ल्यू. 03 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए। गवाह द्वारा अपनी साक्ष्य में नाकाबंदी के दौरान वाहन को रोकना, शराब बरामद होना तथा घटना स्थल से शम्भूसिंह को गिरफतार करने का कथन किया। गवाह की साक्ष्य को बरामदगी फर्द प्रदर्श पी. 1, 2 व 4 से पर्याप्त समर्थन व बल प्रदान हेाता है। गवाह की साक्ष्य से यह स्थापित हुआ है कि अभियुक्त शम्भूसिंह के अनन्य एवं सेचतन कब्जे से हरियाणा निर्मित शराब भारी मात्रा में जब्त हुई। यद्यपि मुलजिम धनसिंह के विरूद्ध आरोपित अपराध

को सिद्ध करने के लिए गवाह की साक्ष्य कमजोर है। गवाह द्वारा कथन किया गया कि उसने भागते हुए व्यक्ति को नहीं देखा।

15. गवाह मुलाराम पी.डब्ल्यू. 04 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए। गवाह की साक्ष्य मौका तस्दीक संबंधित कार्यवाही की पुष्टि करता है। फर्द मौका तस्दीक प्रदर्श पी. 5 व 6 के संबंधित पुष्ठ साक्ष्य प्रदान करता है। गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि बरामदगी राजस्थान की सीमा के भीतर हुई थी तथा मुलजिम द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो कि विधिवत शुल्क अदा करके हरियाणा निर्मित शराब का राजस्थान में परिवहन किया जा रहा था। गवाह धनसिंह के विरुद्ध आरोपित अपराध के संदर्भ में कोई प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी साक्ष्य अदा नहीं करता है।

16. गवाह रघुनाथ पी.डब्ल्यू. 05 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए। गवाह अनुसंधान के दौरान नमूना सैंपल को एफ.एस.एल. में जमा करवाने की कार्यवाही को प्रमाणित करता है। गवाह की साक्ष्य को एफ.एस.एल. दस्तावेज प्रदर्श पी 15 से समर्थन प्राप्त होता है। गवाह अपनी परीक्षा में नमूना सैंपल के सुरक्षित रहने का भी कथन करता है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी 09 से यह स्पष्ट हुआ है कि जब्तशुदा द्रव्य पदार्थ शराब थी , जिससे अभियुक्त शम्भुसिंह के विरुद्ध आरोपित अपराध पुष्ट होते हैं। चूंकि अन्य गवाहों की साक्ष्य से मुलजिम धनसिंह के संदर्भ में संदेह उत्पन्न होता है। अतः उक्त गवाह के साक्ष्य से मुलजिम धनसिंह की संलिप्तता के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा रहा है।

17. गवाह किशनाराम पी.डब्ल्यू. 06 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए। गवाह जाब्ते के साथ में रहा। अतः घटना का चक्षुदर्शी गवाह होने के नाते अभियोजन पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण साक्ष्य अदा करता है। गवाह द्वारा अपने बयानों में घटना के दौरान वाहन का पीछा करना, पंचर होने, गवाह को पकड़ने नाम–पता पूछने पर शम्भुसिंह बताना, वाहन बिना लाईसेंस परमिट के भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांड की शराब का पाए जाने के सुसंगत कथन किए हैं। गवाह की साक्ष्य फर्द जब्ती प्रदर्श पी 01 एवं 02 व फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 04 से पर्याप्त संपुष्टि प्राप्त करते हैं। गवाह की मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य सामूहिक रूप से यह सिद्ध करती है कि मुलजिम शम्भुसिंह के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई, जिसके राज्य के भीतर परिवहन करने का कोई वैध लाईसेंस परमिट एवं आयातीत शुल्क का भुगतान नहीं था। गवाह ने कथन किया कि उसने गाड़ी से किसी को भागते हुए नहीं देखा, यह भी कथन किया कि दौराने जिरह कि सारा माल हरियाणा निर्मित था। रात्रि के समय होने से स्वतंत्र मौतबीर नहीं बुलाए गए। गवाह



न्यायिक मजिस्ट्रेट
सांचौर (राज.)

की साक्ष्य सहमुलजिम धनसिंह की अपराध में संलिप्तता को साबित करने के लिए अपर्याप्त है, इसके विपरीत शम्भुसिंह के विरुद्ध आरोपित अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त ठोस एवं विश्वसनीय है।

18. गवाह मोहनलाल पी.डब्ल्यू. 07 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए। उक्त गवाह की साक्ष्य मुलजिम शम्भुसिंह एवं धनसिंह से संबंधित नहीं होने से अभी विवेचन का औचित्य नहीं है।

19. गवाह पोपटलाल पी.डब्ल्यू. 08 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए। गवाह घटनास्थल के दौरान जाब्ते के साथ रहा। अतः चक्षुदर्शी गवाह होने से अभियोजन पक्ष का महत्वपूर्ण गवाह है। इसके अतिरिक्त गवाह फर्द जब्ती प्रदर्श पी 01 व 02 का भी अहम गवाह है। गवाह द्वारा अपने साक्ष्य में अन्य गवाहों की बयानों की तरह ही घटनास्थल से मुलजिम शम्भुसिंह को दस्तयाव करना एवं मुलजिम के कब्जे से भारी मात्रा में शराब के जब्त होने का कथन किया गया, जिसके संबंध में अभियुक्त द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए। गवाह की साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य फर्द जब्ती प्रदर्श पी 01 एवं 02 से पुष्टि प्राप्त करती है। गवाह की साक्ष्य शम्भुसिंह के विरुद्ध आरोपित अपराध हरियाणा अवैध शराब के कब्जे एवं परिवहन को प्रमाणित करती है, जबकि इस संबंध में शम्भुसिंह द्वारा कोई वैध परमिट, लाईसेंस, दस्तावेज, आयातीत शुल्क दस्तावेज पेश करने में असफल रहा। उल्लेखनीय है कि सहमुलजिम धनसिंह के संदर्भ में गवाह की साक्ष्य अपर्याप्त पाई गई, क्योंकि उक्त मुलजिम को न तो घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया, न ही अन्य कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो कि धनसिंह के सचेतन कब्जे से अवैध शराब को जब्त किया गया था।

20. गवाह सत्येदव आढा पी.डब्ल्यू. 09 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुये। । गवाह प्रकरण के अनुसंधानकर्ता होने से अभियोजन पक्ष के अहम साक्षी है। गवाह द्वारा अपने बयानों में अनुसंधान की प्रक्रिया को पूर्ण करने का कथन किया। घटना से संबंधित एफएसएल रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया। गवाह द्वारा बाद अनुसंधान मुलजिम शम्भुसिंह व धनसिंह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश करने का कथन किया। गवाह की साक्ष्य शम्भुसिंह के दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त एवं पुष्टिकारक है, परंतु अन्य साक्ष्यों के संदर्भ में देखा जाए तो धनसिंह की हस्तगत प्रकरण की घटना में संलिप्तता संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने से सीमित है।

21. गवाह लादुराम पी.डब्ल्यू. 11 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए। गवाह घटनास्थल का चक्षुदर्शी गवाह है एवं कार्यवाही जाब्ते के साथ में रहा। अतः अभियोजन पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण साक्षी है। गवाह द्वारा अपने बयानों में शराब से भरे वाहन को पकड़ना एवं मौके से शम्भुसिंह को गिरफ्तार करने



28/03/26
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सांचौर (राज.)

का कथन किया। गवाह के कथन फर्द जब्ती प्रदर्श पी 01 एवं गिरफ्तारी प्रदर्श पी 04 से पुष्ट होते हैं। गवाह की साक्ष्य से शम्भुसिंह का सचेतन कब्जा एवं अवैध परिवहन को प्रमाणित करता है एवं साथ ही हरियाणा निर्मित शराब का बिना आयात शुल्क परिवहन होना भी सिद्ध करता है।

22. गवाह महेंद्रसिंह पी.डब्ल्यू. 12 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए। उक्त गवाह दौराने अनुसंधान एफएसएल भेजने की प्रक्रिया की पुष्टि करता है। साथ ही यह भी कथन करता है कि सैंपल उसके पास सुरक्षित हालात में रहे।

23. गवाह विरधसिंह पी.डब्ल्यू. 13 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए। गवाह द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किए जाने से अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण साक्षी है। गवाह फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 17 धनसिंह के अहम गवाह है। गवाह द्वारा अपनी जिरह में स्वीकार किया गया कि प्रदर्श पी 17 थाने में बनाई थी। उल्लेखनीय है कि घटना 01.10.2011 की है, जबकि मुलजिम धनसिंह की फर्द गिरफ्तारी दिनांक 22.06.2012 की है। स्पष्ट होता है कि मुलजिम को घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया था।

24. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क कि बरामदगी की कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह नहीं रखे गए हैं; बरामदगीस्थल के आस–पड़ौस के स्वतंत्र गवाह परीक्षित नहीं करवाए गए हैं। उक्त तर्क संधारणीय नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्माननीय न्याय दृष्टांत **2013(3) आर.एल.डब्ल्यू. पेज 2663 (एस.सी.) ज्ञानचन्द व अन्य बनाम हरियाणा राज्य** में प्रतिपादित विधि से मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि स्वतंत्र साक्षी की अनुपस्थिति मात्र से ही अभियोजन कहानी पर सन्देह नहीं किया जा सकता, यदि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व साक्ष्य सामग्री से अभियुक्त को झूठा फंसाये जाने का कोई कारण दर्शित नहीं हुआ हो। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त सम्माननीय न्याय दृष्टांत के प्रकाश में प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से लिया गया यह बचाव स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। साथ ही अभिलेख पर परीक्षित अभियोजन साक्षीगण के कथनों को मात्र इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि वे आरक्षी विभाग के कर्मचारी व अधिकारी हैं। यह सुस्थापित विधि है कि पुलिसकर्मियों की साक्ष्य को केवल इस आधार पर कि वे पुलिसकर्मी हैं, फैंका नहीं जा सकता, बल्कि उनकी साक्ष्य को सूक्ष्मता से देखा जाना आवश्यक है और इस दृष्टि से यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या किसी स्वतंत्र साक्षी के उपलब्ध होने के बावजूद भी उन्हें किसी तिरछे हेतुक से साक्षी बनाये जाने का लोप तो नहीं किया गया है तथा स्वतंत्र साक्षीगण के अभाव में पुलिसकर्मियों की साक्ष्य को, केवल



न्यायिक मजिस्ट्रेट

इस आधार पर कि वे अपने शासकीय कर्तव्यों के परिणाम की सफलता में हितबद्ध थे, पृथक नहीं किया जा सकता। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह कथन कि गवाह के बयानों में काफी विरोधाभास है; सभी गवाहान ने अपने बयानों में फर्द बरामदगी के संबंध में भिन्न-भिन्न बयान दे रहे हैं। अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अभियोजन साक्षीगण के कथनों में कोई गम्भीर विरोधाभास भी प्रकट नहीं हुआ है। प्रत्येक साक्षी की न्यायालय में साक्ष्य लेखबद्ध करवाने की अभिव्यक्ति पृथक-पृथक होती है, जिसके कारण साक्षीगण के कथनों में तुच्छ विरोधाभास आना स्वाभाविक व प्राकृतिक होता है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य से ऐसा कोई विरोधाभास प्रकट नहीं होता जो अभियोजन की कहानी की जड़ तक जाकर अभियोजन की कहानी को सर्वथा मिथ्या प्रकट करता हो, इसलिए अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जो तर्क दिए गए हैं, वे संधारणीय नहीं हैं।

25. निष्कर्षतः पत्रावली पर आए समस्त दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य के समग्र अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि घटना की दिनांक को पुलिस द्वारा विधिवत रूप से नाकाबंदी की गई एवं नाकाबंदी के दौराने बोलेरो कैंपर वाहन जीजे 12 वाई 1729 को रोकने का प्रयास किया गया, परंतु वाहन चालक द्वारा इसकी अवहेलना कर इसको भगाया गया। आरोपी के उक्त कृत्य से उसका पश्चातवर्ती दोषपूर्ण आचरण प्रकट होता है। बहरहाल पुलिस दल द्वारा उसका पीछा कर वाहन को रूकवाया गया तथा मौके पर अभियुक्त शम्भुसिंह को पकड़ा गया। अभियुक्त शम्भुसिंह का कथन रहा कि उसके साथ अन्य व्यक्ति धनसिंह था और वह भाग गया, परंतु किसी भी जाब्ते दल की गवाहों द्वारा अन्य मुलजिम के भागने व पहचान के संबंध में ठोस साक्ष्य नहीं दी गई। मौके पर गिरफ्तार अभियुक्त शम्भुसिंह व वाहन कैंपर जीजे 12 वाई 1729 की तलाशी लेने पर कुल 65 कार्टुन विभिन्न ब्रांड के हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी गिनती, नमूना लेने, सील करने एवं जब्ती की कार्यवाही गवाहों की उपस्थिति में की गई। फर्द रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 10, फर्द जब्ती शराब अवैध शराब प्रदर्श पी 01, फर्द जब्ती वाहन बोलेरो कैंपर प्रदर्श पी 02, फर्द बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 03, फर्द गिरफ्तारी शम्भुसिंह प्रदर्श पी 04, फर्द गिरफ्तारी धनसिंह प्रदर्श पी 17, मौका तस्दीक प्रदर्श पी 13, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 15 व 16, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 09 आदि संलग्न पत्रावली है। एफएसएल रिपोर्ट से यह प्रमाणित हुआ है कि बरामद द्रव्य वास्तव में अंग्रेजी शराब था, जिससे बरामदगी की सत्यता पर कोई संदेह नहीं रहता है। अभियुक्त शम्भुसिंह ने बरामद शराब के संबंध में कोई वैध लाईसेंस, परमिट, बिल्टी या आयात शुल्क भुगतान से संबंधित

दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उसके द्वारा अवैध रूप से शराब को कब्जे में रखकर परिवहन किया जा रहा था। जब्तशुदा शराब की बरामदगी उसकी अनन्य एवं सचेतनपूर्ण कब्जे से हुई। इसके अतिरिक्त यह भी निर्विवादित रूप से सिद्ध हुआ है कि बरामदशुदा शराब हरियाणा निर्मित थी, जिसे राजस्थान राज्य में बिना आयात प्रक्रिया एवं शुल्क अदायगी के विधिविरुद्ध परिवहन किया जा रहा था, जिसका अभियुक्तगण को ज्ञान था। यद्यपि अभियुक्त धनसिंह के संबंध में अभियोजन कोई प्रत्यक्ष व ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। उल्लेखनीय है कि मुलजिम धनसिंह की न तो मौके से गिरफ्तारी हुई है और न ही उसके सचेतन अनन्य कब्जे से अवैध शराब बरामद हुई है। किसी भी गवाहान द्वारा उसकी स्पष्ट रूप से पहचान नहीं की गई है। पत्रावली पर अन्य कोई ऐसा ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, जिससे कि उक्त मुलजिम धनसिंह की हस्तगत प्रकरण की घटना में संलिप्तता संदेह से परे स्थापित हो। केवल मात्र सहमुलजिम शम्भुसिंह का कथन रहा कि अन्य व्यक्ति वहां से भाग गया था, परंतु बिना ठोस पहचान एवं पुष्टिकरण के उक्त मुलजिम धनसिंह का आपराधिक दायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता। विधि का सुस्थापित नियम है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करना होता है तथा संदेह के लाभ में उसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना विधिसम्मत है। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों से न्यायालय के मत में अभियोजन पक्ष अभियुक्त शम्भुसिंह के विरुद्ध आरोपित अपराध 19/54 व 14/57 राजस्थान आबकारी अधिनियम का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त शम्भुसिंह को उक्त धाराओं में दोषसिद्ध करना न्यायोचित प्रतीत होता है, जबकि अभियुक्त धनसिंह के विरुद्ध आरोपित अपराध 19 / 54 व 14 / 57 राजस्थान आबकारी अधिनियम अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः उक्त मुलजिम धनसिंह को आरोपित अपराध में संदेह के लाभ में दोषमुक्त घोषित करना न्यायोचित एवं विधिसम्मत होगा।

## :: आदेश ::

26. अतः अभियुक्त शम्भुसिंह पुत्र गुलाबसिंह, उम्र 51 वर्ष, निवासी बईया, पुलिस थाना झिन्जणियाली, जिला जैसलमेर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 19 / 54 व 14 / 57 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है तथा अभियुक्त धन सिंह पुत्र ओनाड़सिंह, उम्र 55 वर्ष, निवासी चुली, पुलिस थाना सदर बाड़मेर, जिला बाड़मेर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 19/54 व 14/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में संदेह का लाभ देकर

दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(निशांत राज)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांचौर,
जिला जालोर।

## सजा के प्रश्न पर

27. सजा के प्रश्न पर अधिवक्ता अभियुक्त को सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है, पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्त करीब 16 वर्ष से अन्वीक्षा भुगत रहा है। जेल भेजे जाने से उसके चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, उसे जेल भेजे जाने पर उसके परिवार पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा, अंततः अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ दिया जावें।

28. सजा के प्रश्न पर अधिवक्ता अभियुक्त को सुना गया। पत्रावली और सुसंगत विधि का अवलोकन करने के बाद न्यायालय का विनम्र मत इस प्रकार है कि अभियुक्त के सचेतन्य कब्जे से 65 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब की बरामदगी हुई है। भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है व अभियुक्त के पास उक्त शराब अपने कब्जे में रखने का कोई अनुज्ञा पत्र भी नहीं था जो कि गम्भीर प्रकृति का अपराध है। अतः न्यायालय की विनम्र राय में यह न्यायालय प्रकरण के तथ्यों–परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त ~~छतरसम~~ शम्भुसिंह को परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं पाता है।

### :: दण्डादेश ::

29. अभियुक्त शम्भुसिंह पुत्र गुलाबसिंह, उम्र 51 वर्ष, निवासी बईया, पुलिस थाना झिन्जणियाली, जिला जैसलमेर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा– 19@54 व 14/57 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत नियमानुसार दण्डित किया जाता है:–

| | |
|---|---|
| राज. आब. अधिनियम की धारा 19/54 | अभियुक्त को 3 वर्ष का साधारण कारावास एवं अभियुक्त पर 20,000/– रूपये (अक्षरे बीस हजार रुपये) जुर्माना। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे। |
| राज. आब. अधिनियम की धारा 14/57 | अभियुक्त को 3 वर्ष का साधारण कारावास एवं अभियुक्त पर 20,000/– रूपये (अक्षरे ~~पच्चीस~~ बीस हजार रुपये) जुर्माना। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे। |

(i) सभी मूल सजाएं साथ–साथ चलेंगी।



न्यायिक मजिस्ट्रेट
सांचौर (राज.)

(i) सभी मूल सजाएं साथ–साथ चलेंगी।

(ii) अर्थदण्ड की अदम अदायगी पर अधिरोपित कारावास मूल कारावास की समाप्ति पर आरम्भ होगा।

(iii) धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि मूल सजा में समायोजित की जायेगी।

(iv) अभियुक्त का सजा वारण्ट मुर्तिब किया जावे।

30. प्रकरण में अभियुक्त गोरधनसिंह पुत्र गुमान सिंह मफरूर है अतः पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे तथा पत्रावली के सरवरक पर उक्त अभियुक्त के मफरूर होने के चलते पत्रावली नष्ट नहीं किये जाने का नोट लाल स्याही से लगाया जावे।

31. उदय सिंह पुत्र जुगत सिंह की फौत हो जाने से दिनांक 23.02.2023 को कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है।

32. प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

28/03/26

(हिम्मत राज)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांचौर
जिला–जालोर।

33. निर्णय एवं दण्डादेश आज दिनांक 28.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/03/26

(हिम्मत राज)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांचौर
जिला–जालोर।